

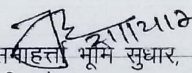
## समाहरणालय, सिमडेगा ।

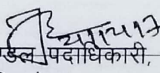
(राजस्व शाखा)

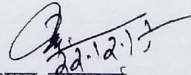
### अनापत्ति प्रमाण-पत्र

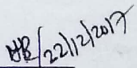
राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 1817/रा0, दिनांक 30.04.2015 के आलोक में 132/33 KV ग्रीड सब- स्टेशन स्थापना के निमित्त भू-हस्तांतरण की जाने वाली भूमि गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) जो जिला- सिमडेगा अंचल- कुरडेग मौजा- हेठमा थाना नं0- 19 खाता नं0- 693 प्लॉट नं0- 12931 रकबा- 4.05 एकड़ तथा प्लॉट नं0- 12940 रकबा- 3.10 एकड़ कुल रकबा- 7.15 एकड़ किस्म जमीन- जंगल झाड़ी है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा आरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोजन एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर की जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा तथा गैर मजरूआ जंगल- झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क/निःशुल्क हस्तांतरण/ लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

  
अंचल अधिकारी,  
कुरडेग।

  
उप सहायक भूमि सुधार,  
सिमडेगा।

  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
सिमडेगा।

  
अपरा समोहर्ता,  
सिमडेगा।

  
उपायुक्त,  
सिमडेगा।